

Reg/838  
16-7-16

15/7/16

50 (Account)  
1000  
18/7/16

राजस्थान सरकार  
शिक्षा(गुप-4) विभाग

क्रमांक: प 11 (3) शिक्षा-1/4/2009पार्ट

दिनांक: 08 जुलाई, 2016

आदेश

1000 Bohadi  
18/7/16

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2016-17 के लिए अन्तरिम शुल्क

राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2016-17 के लिए निम्नानुसार अन्तरिम वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड. बी.एस.सी.-बी.एड.
1	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2	विधि शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3	कंप्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4	अन्य गतिविधियां*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

\* (क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)

संपर्ककालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विधि-शुल्क का मदवार विवरण सत्र 2016-17 के लिए निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एस.सी.-बी.एड./ एम.एड.
(A)	कार्यालय व्यय				
1	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2	अंशक मनी *	180	180	180	180
3	प्रमाण पत्र	24	24	24	24
4	प्रकाश शुल्क	840	840	840	840
5	वेजलें-पानी	840	840	840	840
6	परीक्षा	300	300	300	300
7	वैतिथ्य	60	60	60	60
	योग (A)	2280	2280	2280	2280
(B)	छात्र कोष				
1	बीलक	180	180	180	180
2	पुस्तकालय	540	540	540	540
3	कला, संगीत एवं नर्कृति	180	180	180	180
4	समावेशनिक प्रयोगशाला	180	180	180	180

5.	शैक्षिक तकनीकी	360	360	360	360
6.	कार्यशाला / कार्यानुभव	360	360	360	360
7.	विज्ञान शुल्क	180	180	180	180
8.	आकरिमक व्यय	180	180	190	180
	<b>योग (B)</b>	<b>2160</b>	<b>2160</b>	<b>2160</b>	<b>2160</b>
	<b>महायोग (A+B)</b>	<b>4440.00</b>	<b>4440.00</b>	<b>4440.00</b>	<b>4440.00</b>
(* कार्यालय व्यय के क्र.सं. 1 व 2 पर वर्णित मद का शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा)					

इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रमों को एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त होने की स्थिति में ही लागू किया जाएगा।

वर्ष 2016-17 के लिए उपरोक्त शुल्क पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वार्षिक रूप से देय होगा। उल्लेखनीय है कि यह शुल्क अन्तरिम रूप से निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2015-16 में प्रवेश ले चुके विद्यार्थी, जिन्होंने दिनांक 16.07.2015 के आदेश के अन्तर्गत शुल्क जमा करवाया है, उन्हें 2016-17/आगामी सत्र के लिए दिनांक 16.07.2015 के आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क, प्रवेश शुल्क व कॉशन मनी मद की राशि को छोड़कर, संबंधित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा।


sd/-  
(डॉ० नाथू लाल सुमन)  
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनाएं/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आरक्षक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
12. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
14. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
15. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
16. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शिखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
17. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल वृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
18. कुलसचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
19. कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
20. कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय,
21. कुलसचिव, डीएन विश्वविद्यालय,
22. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई (एनआरसी) जीवनोपयोगिता एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
23. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
24. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।

25. संयुक्त निदेशक, निजी संस्था, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
26. मुख्य लेखाधिकारी एवं प्रभारी छात्रवृत्ति, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
27. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (शिक्षा गुप-5) विभाग, सचिवालय।
28. समन्वयक, एमपीईटी परीक्षा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
29. समन्वयक, प्री-बी.पी.एड व प्री-एम.पी.एड परीक्षा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
30. समन्वयक, पीटीईटी परीक्षा, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
31. समन्वयक, पीएसएसटी परीक्षा, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
32. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नोट:-प्रवेश परीक्षाओं की समन्वयक संस्थाओं को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करवाये तथा एनसीटीई के विनियम 2002 व संशोधन 2010 के बिन्दु संख्या 9(1) (iv) के अनुसार सत्र 2016-17 के लिए निर्धारित अन्तरिम शुल्क के मन्तव्य का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाये)

  
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा